न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 10/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
बनवारी लाल जाट, नायब तहसीलदार, लोहावट जिला जोधपुर।		जिला कलेक्टर, जोधपुर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश कमांक प. (सी–18) (328/1)17 सीसीए/स्था/2021/205 दिनांक 22.06.2021 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलान्ट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, जोधपुर उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 11, अगस्त,2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2021 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 30.06.2021 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता को विभागीय पैरोकार के द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलान्ट नायब तहसीलदार, लोटावट, जिला जोधपुर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी पर जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के पत्रांक 63 दिनांक 10.02.2021 को यह आरोप आरोपित किया गया कि:—

आप श्री बनवारीलाल, नायब तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर के पद पर कार्यरत है। आपको तहसीलदार लोहावट द्वारा जिला कार्यालय में प्राप्त संपरिवर्तन आवेदन के सम्बन्ध में जिला कार्यालय से जारी पत्रांक 3791 दिनांक 11.09.2020 के संदर्भ में कारण बताओं नोटिस कमांक 20

11/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

दिनांक 24.12.2020 जारी किया गया। तहसीलदार लोहावट के कारण बताओं नोटिस अनुसार आप द्वारा ग्राम राडियाबेरा के ख0सं0 439/2 में वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु मौका रिपोर्ट चाही गई, ख0सं0 439/2 संयुक्त खातेदार में होने के कारण सखाता विभाजन एवं रास्ते की चौडाई हेतु भूमि समर्पण आवश्यक था। विधि अनुसार भूमिधारी की हैसियत से खाता विभाजन व भूमि समर्पण तहसीलदार ही स्वीकृत कर सकता है। किन्तु आप द्वारा प्रकरण भूमिधारी तहसीलदार की उपस्थिति में खाता विभाजन व भूमि समर्पण क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए वीकार किया गया जबकि उस दिनांक को आप भूमिधारी तहसीलदार नहीं थे। जो कि विधिनुसार प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है एवं आप द्वारा संपरिवर्तन पत्रावली तीन माह तक तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत ही न होने दी गई। तहसीलदार लोहावट के नोटिस अनुसार आप द्वारा खाता विभाजन, समर्पण स्वीकार करने के बाद भी तीन माह तक प्रकरण में पत्रावली रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई जबकि आप द्वारा 13.11.2020 से 13.12.2020 तक कार्यवाहक तहसीलदार के पर कार्य कर रहे थे परन्तु जिला कार्यालय द्वारा चाही गई रिपोर्ट आप द्वारा जिला कार्यालय को नहीं भिजवाई गई जिसमें संपरिवर्तन प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हुआ।

आप द्वारा प्रकरण में विधि का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध भूमिधारी तहसीलदार के उपस्थित रहते हुए खाता विभाजन व समर्पण स्वीकार करना तथा जिला कार्यालय द्वारा चाही गई रिपोर्ट समयावधि में तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं करना तथा ना ही जिला कार्यालय को प्रेषित करना आपका यह कृत्य नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए राजकार्य में उदासीनता, शिथिलता व उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने व गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

4. अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 17.02.2021 को जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरोपित आरोप को अस्वीकार है, मेरे विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही को ड्रॉप करावें। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किये जाने के उपरान्त प्रकरण में अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलान्ट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डात्मक आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलान्ट तत0 तहसीलदार लोहावट प्रतीज्ञा सोनी द्वारा मुझ ना0 तहसीलदार पर आरोप लगाया था कि आप द्वारा विधि विरूद्ध जाकर खाता विभाजन व समर्पणनामा तस्दीक किया गया एवं ग्राम राडिया बेरा में एक संपरिवर्तन प्रकरण में आप द्वारा रिपोर्ट समय पर नहीं भिजवाई गई। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इस बाबत मेरे द्वारा यह प्रत्युतर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

किया गया था कि खाता विभाजन राज0 सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के कमांक प.5(27)राज/6/39/11 दिनांक 17.10.94 एवं अधिसूचना दिनांक 17.10.97 व राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) की पालना में खाता विभाजन स्वीकार किया गया तथा भूमि राज्य सरकार के समर्पण मामले में जिस दिन समर्पणनामा प्रस्तुत किया गया था उस दिन तत0 तहसीलदार प्रतीज्ञा सोनी पंचायत समिति बापिणी में पंचायत चुनाव में डयूटी पर होने के कारण मेरे द्वारा तहसीलदार की हैसियत से उपरोक्त समर्पणनामा तस्दीक किया गया। मेरे को उसी खसरे में संपरिवर्तन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी। उपरोक्त तथ्य दर्शाने के उपरान्त भी जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे दण्डित कर दिया गया।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से परे है क्योंकि सीसीए नियमों में जिला कलेक्टर को मुझ अपीलान्ट ना0 तहसीलदार को दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त तत0 तहसीलदार प्रतीज्ञा सोनी संपरिवर्तन की फाइले अपने पास में ही रखा करती थी। उक्त संपरिवर्तन प्रकरण में जॉच हेतु कार्यालय आदेश कमांक राजस्व/2020/49–50 से भू0अ0निरीक्षक पल्ली व पटवारी नोसर से मौका जॉच हेतु लिखा जाकर मूल प्रस्ताव भेज दिया गया। मुझे उक्त संपरिवर्तन की जॉच या अन्य कोई कार्यवाही नहीं सौंपी गई थी। मेरे द्वारा केवल खाता विभाजन व भूमि समर्पणनामा ही तस्दीक किया गया। उक्त संपरिवर्तन प्रकरण में मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ था फिर भी मुझे दण्डित कर दिया गया।

7. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया आरोप में जो तथ्य अंकित किये गये है कि दिनांक 13.11.20 से 13.12.20 तक अपीलान्ट कार्य0 तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहा, परन्तु जिला कलेक्टर द्वारा चाही गई रिपोर्ट समय पर नहीं भिजवाई गई जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 13.11.20 को तत0 तहसीलदार प्रतीज्ञा सोनी द्वारा मुझे एक माह के लिये कार्यवाहक तहसीलदार का चार्ज प्रदान किया था उस वक्त मुझे पेण्डिग प्रकरण के बारे में नहीं बताया और उक्त पत्रावली अपने साथ ही रख ली, यह तथ्य प्रार्थी खातेदार तिलोकाराम के शपथ पत्र से स्पष्ट है। खातेदार तिलोकाराम ने भी यह बताया कि वह पत्रावली तहसीलदार प्रतीज्ञा सोनी के पास थी और उनके द्वारा उनको कई बार कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। इन तमाम तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आदेश न्यायोचित नहीं है उसे गलत तरीके से दण्डित किया गया है वास्तविक तथ्य आदेश में लिखे ही नहीं गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे व आदेश दिनांक 22.6.2021 को निरस्त किया जावें।

8. विभागीय पैरोकार द्वारा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा टिप्पणी को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 13.10.2017 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप ही अनुशासनात्मक

1/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कार्यवाही करते हुए दण्डित किया है जो उचित है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में खाता विभाजन व भूमि समर्पण भी क्षेत्राधिकार से बाहर स्वीकार किया गया है जबकि उक्त दिनांक को तहसीलदार नहीं थे। अपीलान्ट द्वारा खाता विभाजन व समर्पण स्वीकार करने के तीन माह तक प्रकरण में पत्रावली रिपोट जिला कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई जिसके कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हुआ था और इस आधार पर ही आरोप सिद्ध होने के कारण अपीलान्ट को आदेश द्वारा दण्डित किया गया है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

9. हमने अपीलान्ट के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों, प्राप्त टिप्पणी इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया। अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर को पेश अपने प्रत्युतर यह कथन दर्शाये कि दिनांक 13.11.20 से 13.12.20 तक अपीलान्ट कार्य0 तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहा, परन्तु जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा चाही गई रिपोर्ट समय पर इसलिये नहीं भिजवाई गई क्योंकि दिनांक 13.11.20 को तत0 तहसीलदार प्रतीज्ञा सोनी द्वारा मुझे एक माह के लिये कार्यवाहक तहसीलदार का चार्ज प्रदान किया था उस वक्त मुझे पेण्डिग प्रकरण के बारे में नहीं बताया और उक्त पत्रावली अपने साथ ही रख ली।''

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा के समक्ष संपरिवर्तन प्रकरण के आवेदक/प्रार्थी खातेदार तिलोकाराम के हस्ताक्षरित शपथ पत्र में लिखे तथ्य कि पत्रावली तहसीलदार प्रतीज्ञा सोनी के पास थी और उनके द्वारा उनको कई बार कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की।'' हमारे मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए तथा उन पर पुनर्विचार करने तत्पश्चात नये सिरे से पुनः यथोचित आदेश आदेश जारी करने हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर जोधपुर को भिजवाया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला कलेक्टर जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए तथा उन पर पुनर्विचार करने तत्पश्चात नये सिरे से पुनः यथोचित आदेश आदेश जारी करने निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/8/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर